



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. राजेश्वर सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Dr. Rajeshwar Singh
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2018/छा.ग./321-53/2023
दिनांक : 15.05.2023

परिपत्र

वर्धा में पड़ रही भीषण गर्मी तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित ग्रीष्मावकाश में आप सभी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रह रहे स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र अपने-अपने गृहनगर को प्रस्थान करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, छात्रावास अधीक्षक
(विभाग के सूचना पट्ट पर लगवाए जाने की अपेक्षा है।)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय,
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय,
3. कुलानुशासक कार्यालय,
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
6. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. सुरक्षा अधिकारी
8. संबंधित पत्रावली